

30-01-18

कमील अपीलान्त था खंय कमीलान्त कोई उपोत्तर  
नहीं है। कमी. को पूर्व में भी उप-दोन का अवरु  
दिया ~~गया~~ गया था। कमी. आज भी उपोत्तर  
नहीं है। कमी. को बार-बार आवाजें दिये  
गई। कमी. की ओर से कोई उपोत्तर नहीं  
आया। अतः अपील अकम हाजरी व अकम  
पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फाइल  
शुमार होकर बाद तकमील जायता दाखिल  
वफतार हो।

संभागीय आयुक्त

भरतपुर, कैम्प सवाई माधोपुर

रपाम